

28/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील इपीलान्ट
 अनु०। इपीलान्ट स्वयं भी अनुपस्थित।
 बार - बार आवाज दिलाई गई
 जिसके आवजूद भी इपीलान्ट व
 इपीलान्ट डि और वे कोई उपस्थित
 नहीं हुआ। अतः इपील इपीलान्ट
 अदम हाजरी व अदम पैरवी में
 खारीज की जाती है। पत्रावली के ल
 सुधार होकर नम्बर ले कम होकर
 दायित्व दफ्तर है।

(अनिल कुमार)

अतिरिक्त जिम्मा कलक्टर
 एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
 नीमकाथाना (सीकर)

